तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/5/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नं0 4 की ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर निवेदन किया है कि वाद वर्णित आराजी खसरा नंबर 90 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नंबर 92 रकबा 1.66 हैक्टर, खसरा नंबर 93 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नंबर 95 रकबा 0.78 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 4.20 हैक्टर कृषि आराजी वाके ग्राम गंगायचा, तह. लाडपुरा, जिला कोटा राज, के खातेदार पूर्व में स्व. श्री नारायण पुत्र भेरिया जाति मेघवंशी थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 29.03.2004 को हो जाने से उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण उनके पुत्र प्रतिवादी नंबर 1 कुंज बिहारी व पुत्री प्रतिवादी नंबर 2 द्रोपदी बाई के पक्ष में दर्ज किया गया तथा वो ही काबिज काश्त रहे। तद्परान्त प्रति. नंबर 1 व 2 ने उक्त आराजी दिनांक 06.10.05 व दिनांक 14.10.05 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिपक्षी नंबर 4 को विक्रय कर दिया तथा भौतिक कब्जा भी संभला दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा उक्त आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है, एवं प्रतिवादी नंबर 4 बोनाफाइड परचेजर (सद्भाविक क्रेता) है तथा खरीद की दिनांक से ही उक्त सम्पूर्ण आराजी पर बर्तौर खातेदार काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है । प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा मुख्य अनुतोष की वसीयत के आधार पर मांग की गयी है तथा वसीयत के संबंध में न्यायनिर्णय हेतु केवल सिविल न्यायालय को अधिकारिता है। वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित नही की जा सकती है। इस आधार पर भी वाद खारिज किये जाने योग्य है। जब तक उक्त दोनो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिये जाते, तब तक प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है एवं विक्रय पत्रो को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालयो को नही है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वाद वर्णित उक्त आराजी पर खरीद की दिनांक से ही प्रति. नंबर 4 काबिज काश्त चला आ रहा है, तथा वादी का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है। वादी द्वारा वाद पत्र के कब्जे बाबत प्रति. नंबर 4 से कोई अनुतोष भी नही चाहा गया है, जिसके अभाव में भी वाद चलने योग्य नही है तथा इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी/वादी ने घोषणा का हस्तगत वाद, वाद की विषय वस्तु कृषि भूमि को खातेदार स्वर्गीय नारायण दत्तक पुत्र बेरिया द्वारा प्रार्थी/वादी के पक्ष में लिखित वसीयत दिनांक 26.7.99 के आधार पर वादी के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज किए जाने बाबत माननीय न्यायालय में अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है और धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के परिपेक्ष्य में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि का किसी भी व्यक्ति को खातेदार कृषक घोषित किए जाने की अधिकारिता मात्र राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। ऐसे में प्रतिवादी कम 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त विषयक प्रार्थना पत्र उक्त कारण से प्रथम दृष्टया ही सव्यय खारिज होने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया न्यायिक दृष्टांत में भी यही उक्त मत प्रकट करते हुए कथन किया है कि – "Under the provisions of the Tenancy Act, the Jurisdiction to declare khatedari rights vests exclusively with the revenue courts. फलतः प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा प्रस्तुत उक्त विषयक प्रार्थना पत्र वाद को अनावश्यक रूप से दीर्घ अवधि तक	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

लंबित रखने का असफल प्रयास मात्र है यहां पर यह उल्लेखित करना भी प्रासंगिक होगा कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद जो कि माननीय राजस्व मंडल अजमेर से रिमाण्ड होकर माननीय न्यायालय में विगत दिनांक 10.12.21 के पश्चात से विचाराधीन है– मे अप्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत रिसीवर/स्टे प्रार्थना पत्र में भी विगत 8 माह से प्रतिवादी गण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आना प्रस्तावित है और वादी द्वारा माननीय न्यायालय से निवेदन करने पर विगत पेशी माननीय न्यायालय द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु प्रतिवादिगण को अंतिम अवसर दिए जाने के उपरांत प्रतिवादिगण ने जवाब रिसीवरी प्रार्थना पत्र पेश न करके उक्त विषय प्रार्थना पत्र प्रकरण को मात्र लंबा करने के उद्देश्य से पेश किया है ऐसे में प्रतिवादी कम 4 के उक्त विषयक प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को विशिष्टतया अस्वीकार करते हुए निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी कम 4 उक्त कारणों के आधार पर सव्यय खारिज फरमाया जावे। हस्तगत वाद को निर्णित करने के अधिकारिता दीवानी कोर्ट को नहीं है। अतः प्रतिवादी कम 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुने जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रस्तुत वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद की विषय वस्तु कृषि भूमि में वादी के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज किए जाने बाबत माननीय न्यायालय में अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। कृषि भूमि के सम्बंध में सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता केवल मात्र राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके अलावा विवादित आराजी पर कब्जे बाबत प्रतिवादी नं0 4 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो भी आपत्तियॉ उठाई गई है वे आपत्तियॉ प्रतिवादी की प्रतिरक्षा है जिनके आधार पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज नही किया जा सकता। प्रतिवादी अपनी उक्त आपत्तियॉ व प्रतिरक्षा को अपने जवाबदावें में उठाने हेतु स्वतंत्र है जिनपर तनकीयात कायम कर साक्ष्य आदि लिए जाकर समुचित न्याय निस्तारण किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किए जाने योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रतिवादी नं0 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सारहीन एवं औचित्यहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही वास्ते दिनांक 14/5/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा